बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–3/अ०प्र०–1–509/2012 1994 /पटना, दिनांक :– 5.7.24

निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4349 दिनांक 20.08.2013 द्वारा श्री अखलाकुर्रहमान, निविदाकार के परिवाद पत्र के आलोक में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया द्वारा निविदा टू–बीड पद्धति के तहत आमंत्रित अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना 11/10–11 के निविदा ग्रुप सं0–2, 6, 8, 18, 23 एवं 24 के निविदा प्रक्रिया की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

2. जाँच प्रतिवेदन में पूरी निविदा प्रक्रिया के तकनीकी मूल्यांकन की समीक्षा की गई है। उक्त समीक्षा में ग्रुप सं0–06, 18 एवं 24 के तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा के शर्तों के अनुरूप नहीं पाया गया।

3. जाँच प्रतिवेदन के अनुसार ग्रुप सं0–6 के संदर्भ में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा मे0 मगध मनीषा कन्सट्रक्सन प्रा0लि0 को प्रथम श्रेणी में निबंधित होने के आधार पर निविदा में अयोग्य किया गया, जबकि अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0–326 दिनांक–22.01.2008 में उल्लेखित है कि उच्च श्रेणी में निबंधित ठीकेदार अपने श्रेणी से नीचे की श्रेणी में संविदा डालने हेतु योग्य माने जाएगें। इस प्रकार निविदा समिति का यह निर्णय नियमानुकूल नहीं है।

ग्रुप सं0–6, 18 एवं 24 के संदर्भ में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन में Experience of doing work of Similar Nature में निविदाकारों यथा मो0 आरफीन, मो0 इफ्तखार आलम, श्री कृष्ण रजन कुमार द्वारा समान प्रकृति के कराए गए विभिन्न कार्यों को एक ही कार्य मानते हुए जो मार्क्स दिया गया है, वह Evaluation Criteria के अनुसार सही नहीं है। Evaluation Criteria में मूल्यांकन का आधार "If executed Single work of similar nature" है।

ग्रुप सं0–18 से संबंधित निविदाकार श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद के द्वारा निविदा के साथ Credit facility Certificate given by Indian Bank up 10% of BOQ समर्पित नहीं किया गया, परन्तु निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन में उन्हें इसके लिए 5 मार्क्स दिया गया है जो उचित नहीं है। श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद द्वारा निविदा के साथ Bidding Capacity की गणना समर्पित नहीं की गई है। निविदा समिति द्वारा भी इनके Bidding Capacity की गणना नहीं की गई, परन्तु Bidding Capacity के लिए इन्हें 10 मार्क्स दिया गया है जो सही नहीं है। Timely Completion के Criteria में Marks देने हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता का प्रमाण–पत्र आवश्यक है। श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद द्वारा निविदा के तकनीकी बीड के साथ कार्यपालक अभियंता का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया था, परन्तु निविदा समिति द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन में श्री कृष्ण नन्दन प्रसाद को Timely Completion के Criteria में 05 मार्क्स दिया गया है, जो उचित नहीं है।

ग्रुप सं0–18 एवं 24 में निविदाकार श्री संजय कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण रंजन कुमार एवं मो0 आरफीन को Details of Engineering Setup for Successful Completion of work के

Criteria में दो–दो मार्क्स दिया गया है, जबकि इस Criteria में marking का विकल्प 10, 05 अथवा 00 है।

4. जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया, जो तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के सदस्य के रूप में उक्त तीनों तकनीकी बीड के निष्पादन से संबद्ध थे, के विरूद्ध ग्रुप सं0–06, 18 एवं 24 के तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा के शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जाने संबंधी आरोपों पर आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 2934 अनु0 दिनांक 20.09.2017 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री कुमार द्वारा कई स्मारों के बाद अंततः अपना स्पष्टीकरण दिनांक 07.08.2023 को समर्पित किया गया एवं इन्होने इन सब अनियमितताओं पर अपना स्पष्टीकरण देने के बजाय केवल श्री अखलाकुर्रहमान के द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण दिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि इनके द्वारा न केवल स्पष्टीकरण देने में विलंब किया है बल्कि माँगे गये स्पष्टीकरण से अलग हटकर अपनी जिम्मेवारी से बचने का प्रयास किया गया है।

5. अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल–2, अररिया सम्प्रति मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के सचिव (प्रा0) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया जाता है।

6. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य बिभाग, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

7. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता निलंबन अवधि के मुख्यालय से देय होगा।

8. श्री कुमार के विरूद्ध संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ०प्र०—1—509/2012 - 1994 /पटना, दिनांकः— 5.7.24

प्रतिलिपि :— प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—3/अ०प्र०—1—509/2012 1994 /पटना, दिनांकः— 5-7-24

प्रतिलिपिः—महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः—3/अ०प्र०—1—509/2012 1994 /पटना/दिनांकः— 5-7-24

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव (प्रभारी लेखा शाखा), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज/प्रशाखा पदाधिकारी—6/12, ग्रामीण कार्य विभाग/श्री मनोज कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल—2, अररिया सम्प्रति मुख्य अभियंता—1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के सचिव (प्रा0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—3/अ०प्र०—1—509/2012 - 1994 /पटना/दिनांकः— 5-7-24

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :—3/अ०प्र०—1—509/2012 1994 /पटना/दिनांकः— 5-7-24

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव